


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल/14-15/ 56032/

जयपुर, दिनांक

2 JAN 2018

कार्यालय आदेश


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिये लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक एल.11011/21/2012/RE-/VII/ दिनांक 16.01.2014 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की दिनांक 27.02.2017 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा पर उदयपुर जिले के लिये श्री मोहम्मद यासीन पठान एवं करौली जिले के लिये श्री रामदयाल मीना द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर, इनके स्थान पर पैनल में द्वितीय वरीयता में चयनित निम्नांकित व्यक्ति को लोकपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला	आवेदक का नाम व पता	जन्म तिथि
1	उदयपुर	श्री सुरेश कुमार बापना पुत्र श्री चौथमल बापना, एडवोकेट, कपासन, जिला चित्तौडगढ़।	11.11.1971
2	करौली	महावीर सिंह पुनियां पुत्र स्व० श्री लेखूराम पुनियां, पिलानी रोड़, नियर मण्ड्रेला मोड़, विकास नगर, चिड़ावा, जिला झुंझुनू।	21.03.1956

उक्त लोकपालों की नियुक्ति कार्यग्रहण की दिनांक से 2 वर्ष या 68 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो के लिये की जाती है।

लोकपाल हेतु सेवा संबंधी अन्य शर्तें ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश दिनांक 16.01.2014 एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अध्वधीन होगी।

उपरोक्त नियुक्त लोकपाल अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आवंटित जिले के जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर, अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाये।



(शाहीन अली खान)
अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4 निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
- 5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
- 6 श्रीमती अरूणा राय, मजदूर किसान शाक्ति संगठन, देव डूंगरी, पोस्ट बरार, जिला राजसमंद।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं, आयुक्त, ईजीएस शासन सचिवालय जयपुर।
- 8 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, शासन सचिवालय जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संभागीय आयुक्त, भरतपुर एवं उदयपुर।
2. संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को लोकपाल नियुक्ति से संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 16.01.2014 की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है।
3. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को प्रेषित कर लेख है कि वे नवनियुक्त लोकपाल के कार्य ग्रहण करने पर उनकी जन्म तिथि संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर भिजवाएं।
4. संबंधित लोकपाल श्री.....।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, ईजीएस शासन सचिवालय जयपुर।
6. कार्यालय प्रति।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस